(74) Attchement 1.6

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम:– जनपद चम्पावत में बिनवालगाँव - कोलियाधुरा - हीडारवान मोटर लम्बाई 16.500 कि०मी०

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अर्न्तगत अनापत्ति प्रमाण--पत्र

ग्राम पंचायत का नाम गोलडांडा

तहसील पाटी जिला चम्पावत

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला चम्पावत उत्तराखण्ड में बिनवालगाँव- कोलियाधुरा- हीडारवान मोटर मार्ग ल०16.500 K.M. परियोजना के निर्माण हेतु (......................
...

हे0 आरक्षित वन भूमि 3.43 हे0 सिविल सोयम भूमि 4.20 हे0,वन पंचायत भूमि 0.42 हे0) अर्थात कुल 8.721 हे0 वन भूमि का लो० नि० वि० विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार,पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत गोलडांडा द्वारा दिनांक 26-11-2020 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई।यह कि वन अधिकार अधिनियम,2006 के प्राविधानो के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नही।उपस्थित सभी ग्राम वासियो द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नही किया जा रहा है।इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियो के परम्परागत अधिकारो का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम गोलडांडा के वासियो को उक्त वन भूमि प्रा०खण्ड लो०नि० वि० चम्पावत प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्णय हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

Meenakshi

मीनाक्षी देवी
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत गोलडाण्डा
वि० ख० पाटी जिला-चम्पावत (उत्तराखण्ड)

ह0/–
ग्राम प्रधान

ह0/–
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत अधिकारी
ग्राम पंचायत पाटी (चम्पावत)

नोटः–यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है।तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रपत्र–23.1

(18) ATTchement - 1.

दिनांक 26-11-2020 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत गोल्लडाँडा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	कुन्दनसिंह S/o श्री शेरसिंह	कुन्दन सिंह
2	जगदीश सिंह S/o " पानसिंह	जगदीश सिंह
3	दीवान सिंह S/o " मोहनसिंह	दीवान सिंह
4	चरण सिंह S/o " केशर सिंह	[signature]
5	किशन सिंह S/o " देव सिंह	किशन सिंह
6	सुरेश चन्द्र S/o " डुंगर देव	[signature]
7	दिनेश चन्द्र S/o " निलाधर	[signature]
8	किशनानन्द S/o " जग देव	किशनानन्द
9	बची सिंह S/o " पान सिंह	बचीसिंह
10	अमित सिंह S/o " प्रताप सिंह	Amit Singh
11	डुंगर सिंह S/o " टीका सिंह	डुंगर सिंह
12	बची सिंह S/o " माधो सिंह	बची सिंह
13	गणेश सिंह S/o " माधो सिंह	गणेश सिंह
14	सुरज सिंह S/o " केशर सिंह	Suraj
15	जीवन सिंह S/o " दलीप सिंह	जीवन सिंह
16	बिशन सिंह S/o " गुलाब सिंह	बिशन सिंह
17	ध्यान सिंह S/o " पान सिंह	ध्यान सिंह
18	पुष्कर चन्द्र S/o " वन देव	पुष्कर चन्द्र किनवाल
19	राम सिंह S/o " कुशल सिंह	रामसिंह
20	नाराईन सिंह S/o " नैन सिंह	नराईन सिंह
21	रामसिंह S/o " प्रेमसिंह	रामसिंह
22	देव सिंह S/o " नैन सिंह	देव सिंह
23	हरीश सिंह S/o " मोहनसिंह	हरीशसिंह
24	बसंती देवी W/o " गोपाल सिंह	बसंती देवी

(18) ATTchament

प्रपत्र–23

परियोजना का नामः– जनपद चम्पावत में बिनवालगाँव - कोलियाढूंगा - हीड़ाखान मोटर मार्ग लम्बाई 16.500 कि०मी०

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अर्न्तगत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम बिनवालगाँव

तहसील पाटी जिला चम्पावत

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला चम्पावत उत्तराखण्ड में बिनवालगाँव- कोलियाढूंगा- हीड़ाखान मोटर मार्ग ल०16.500 K.M. परियोजना के निर्माण हेतु (...

हे0 आरक्षित वन भूमि 3.43 हे0 सिविल सोयम भूमि 4.20 हे0,वन पंचायत भूमि 0.42 हे0) अर्थात कुल 8.12 हे0 वन भूमि का लो० नि० वि० विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार,पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बिनवालगाँव द्वारा दिनांक 26-11-2020 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई।यह कि वन अधिकार अधिनियम,2006 के प्राविधानो के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नही।उपस्थित सभी ग्राम वासियो द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नही किया जा रहा है।इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियो के परम्परागत अधिकारो का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बिनवालगाँव के वासियो को उक्त वन भूमि प्रा०ख० लो०नि०वि० चम्पावत प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्णय हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0 / – (ग्राम पंचायत अधिकारी, पाटी (चम्पावत))
ग्राम सचिव

प्रधान, ग्राम पंचायत बिनवालगाँव, वि०ख० पाटी, जनपद चम्पावत
ह0 / –
ग्राम प्रधान

नोटः–यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है।तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रपत्र—23.1

(17) ATTchement 1.[illegible]

दिनांक 26-11-2020 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत बिनवालगाँव

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	[illegible] बिनवाल	[signature]
2-	मोहन खोलिया	मोहनखोलिया
3-	पानदेव	पानदेव
4-	खष्टीदत्त	खष्टीदत्त
(5)	[illegible]	[illegible]
6-	Prakash	Prakash
7	दीवान खोलिया	दीवान खोलिया
8	जगदीश प्रसाद	जगदीश प्रसाद
9	कृष्ण चन्द्र	कृष्ण चन्द्र
10	विष्णु दत्त	विष्णु दत्त
11-	चन्द्रशेखर बिनवाल	[signature]
12-	[illegible]	[illegible]
	नन्दकिशोर	नन्दकिशोर
	मोहन चन्द्र	[signature]
	उमेश बिनवाल	Umesh
	सुरेश चन्द्र	सुरेश चन्द्र
	देवीदत्त बि०	देवीदत्त बि०
	खीमानन्द	खीमानन्द
	नवीन चन्द्र	नवीन चन्द्र
	दिनेश चन्द्र	[signature]

धर्मेन्द्र — धर्मेन्द्र

तिलोक — तिलोक

रमेश चन्द्र — रमेश चन्द्र

प्रपत्र–23.2 (18) Attchement 1.

परियोजना का नाम :– जनपद चम्पावत में बिनवालगाँव - कलियाधूरा - हीडाखान मोटर मार्ग लं० 16.500 K.M का

कार्यालय उप जिलाधिकारी, पाटी
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, पाटी

उपखण्ड पाटी परिक्षेत्र के अन्तर्गत बिनवालगाँव - कलियाधूरा - हीडाखान (3.43 है० आरक्षित वन भूमि, 4.20 है० सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.42 है० वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 8.721 है० वन भूमि) का प्रा० खण्ड लो०नि०वि० प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पाटी) की दिनांक 19-2-2021 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री रमेश चन्द्र गौतम, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री रमेश चन्द्र गौतम उपजिलाधिकारी पाटी – अध्यक्ष
2– श्री मनोहर सिंह सीमिया उप प्रभागीय वनाधिकारी लोहाघाट – सदस्य
3– श्री चन्द्रशेखर भट्ट सहायक समाज कल्याण अधिकारी पाटी – सदस्य / सचिव
4– श्री केशर सिंह बी०डी०सी० क्षेत्र गौलडांडा बिनवालगाँव – सदस्य

क्षेत्र पंचायत सदस्य
क्षेत्र पंचायत गौलड़ांडा/बिनवालगाँव
वि०ख०- पाटी (चम्पावत)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

जनपद चम्पावत में प्रस्तावित बिनवालगाँव - कलियाधूरा - हीडाखान मोटर मार्ग लं० 16.500 कि०मी० परियोजना हेतु 8.721 हे० वन भूमि प्रान्तीय खण्ड लो० नि०वि० चम्पावत प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, लोहाघाट द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
लोहाघाट

(19) Attachment

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड पाटी परिक्षेत्र के अर्न्तगत विजवालगाँव - कलियाधूरा - हीडारवान मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 8.72 है० वन भूमि लो० नि० वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति
तहसील :
जनपद :

उपजिलाधिकारी
पाटी
जनपद-चम्पावत

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी चम्पावत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति
तहसील :
जनपद :

उपजिलाधिकारी
पाटी
जनपद-चम्पावत

(20) Attchment-1.6

<u>बन पंचायत निरापत्ति</u>
<u>प्रमाण – पत्र</u>

आज दिनॉक– 26-11-2020 को बिनवालगाँव बन
पंचायत की आम बैठक बुलाई गई तथा – बिनवालगाँव-[illegible] मोटर
मार्ग में पड़ने वाली बन पंचायत भूमि के सम्बन्ध में विचार विमर्स किया
गया तथा निम्न प्रस्ताव सर्व सम्मति से तय किया गया –
<u>प्रस्ताव संख्या–</u> मे सर्व सम्मति से तय किया गया कि निर्माण कार्य
पूर्ण हो जाने पर आम जनता की यातायात सुविधा को देखते हुए मार्ग
का शीघ्र निर्माण होना अत्यन्त आवश्यक व उचित है। तथा उपरोक्त
मार्ग में जो बन पंचायत की भूमि पड़ती है। मार्ग निर्माण पर इसका
उपयोग किये जाने पर बन पंचायत – बिनवालगाँव को कोई आपत्ति
नहीं है। ताकि उपरोक्त मार्ग के अन्दर जो पेड़ है उनकी कीमत
नियमानुसार निर्धारित कर बन पंचायत को भुगतान कर दी जाय प्रस्ताव
सर्व सम्मति से पास हुआ।

पुष्पा देवी
नवीन चन्द्र
दीपा बिनवाल

सरपंच
...पंचायत बिनवाल गाँव
वि0 ख0- [illegible] (चम्पावत)

मुहर सरपंच

21

Attchement-1.6

बन पंचायत निरापत्ति प्रमाण – पत्र

आज दिनॉक– 26-11-2020 को गोलडॉडा बन पंचायत की आम बैठक बुलाई गई तथा – विनकलगॉव-कठियाडुरा मोटर मार्ग में पड़ने वाली बन पंचायत भूमि के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया गया, तथा निम्न प्रस्ताव सर्व सम्मति से तय किया गया –

प्रस्ताव संख्या– में सर्व सम्मति से तय किया गया कि निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर आम जनता की यातायात सुविधा को देखते हुए मार्ग का शीघ्र निर्माण होना अत्यन्त आवश्यक व उचित है। तथा उपरोक्त मार्ग में जो बन पंचायत की भूमि पड़ती है। मार्ग निर्माण पर इसका उपयोग किये जाने पर बन पंचायत – गोलडॉडा को कोई आपत्ति नही है। ताकि उपरोक्त मार्ग के अन्दर जो पेड़ है उनकी कीमत नियमानुसार निर्धारित कर बन पंचायत को भुगतान कर दी जाय प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास हुआ।

पुष्पादेवी

मुहर सरपंच

तुलसीप्रसाद

Attchment-1.6

From-1

Government of Uttrakhand
Office at the district collector champawat

No...3652......

Date...03/4/2021

परियोजना का नामः– **Construction of Binwalgoan-kaliyadhura- Chhidakhan Motor road length 15.200 Km. 8.721 hectares Under state sector in district champawat**

TO WHOWSOEYER IT MAY CONCERN

In Compliance of the ministry of Environment and forest (MOEF) Government of India's letter. No. 11-9/98-FG(pt) date 3rd August 2009 where in the MOEF issued guidelines in submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled tribes and other traditional forest Dwellers (recognition of forest right) Act, 2005 (FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-Forest purposed read with MOEF'S letter dated 5th February 2013 where in MOEF issued certain relaxation in respect of liner project, it is certified that 8.721 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Lok Nirman Vibhag Champawat (name of agency) for **Construction of Binwalgoan-kaliyadhura- Chhidakhan Motor road length 15.200 Km. 8.721 hectares Under state sector in district champawat** (Purpose for diversion of forest land) in champawat district falls within jurisdiction of Binwalgoan, Goldanda, Village(s) in Pati Tehsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 8-721 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meeting of the forest rights committee (s) gram Sabah(s) sub Division level committee(s) and the District level committee are enclosed as annexure 1 to 5 annexure

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA Have been completed and the Gram Sabah's have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and pre agricultural Communities.

Encl: As Above.

Signature

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
चम्पावत

(Vineet Tomar) जिला अधिकारी
(Full Name and Offical seal of the District Collector)
चम्पावत
कार्यालय जिलाधिकारी चम्पावत

Attchement-1.6

23

Government of Uttrakhand
Office at the district collector champawat

No...3652.....

Date...03/4/2021

परियोजना का नामः– **Construction of Binwalgoan-kaliyadhura- Chhidakhan Motor road length 15.200 Km. 8.721 hectares Under state sector in district champawat**

Proceeding of the meeting of the District level committee constituted under schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) act (FRS) 2006

A Meeting of the District level committee of the champawat district (Uttrakhand) Construction under FRA 2006 was held the chairmanship of Vineet Tomar (IAS). District Magistrate Champawat (Uttrakhand) on...03/4/2021.....at District Chammpawat in which the application claiming rights at In Construction of Binwalgoan-kaliyadhura-Chhidakhan Motor road length 15.200 Km. 8.721 hectares Under state sector in district champawat Tehsil Pati. Area Measuring 8.721 hec. For the Construction of Binwalgoan-kaliyadhura- Chhidakhan Motor road length 15.200 Km. 8.721 hectares Under state sector in district champawat of the forest FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub- Division Level Committee of Champawat were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the Documents and Detailed discussion. No objection/Claims were found to have been made and hence District Level Committee recommends the above case diversion to the land for the said purpose.

Signature

(Vineet Tomar) जिला अधिकारी

(Full Name and Offical seal of the District Collector)

कार्यालय जिलाधिकारी चम्पावत

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
चम्पावत

जिला समाज कल्याण अधिकारी
चम्पावत

C.S

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।